महत्वपूर्ण / समयबद्ध

पत्र संख्या-एस0एस0-मासिक संग्रह समीक्षा/ निर्देश-2015-16/ 1358 / वाणिज्य कर

कार्यालय : कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
(संख्या अनुभाग)
लखनऊ : दिनॉक : 15-03-,2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) व (कारपो0 सर्किल) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश ।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में मात्र 15 दिन अवशेष बचे हैं । अत: वित्तीय वर्ष के अवशेष दिनों में राजस्व वृद्धि के दृष्टिगत निम्नवत् कार्यवाही सम्पादित कराई जाये । अवशेष दिनों में अधिकारियों/ कार्मिकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए राजस्व संग्रह के दायित्वों को हरसम्भव पूरा किया जाये ।

1. माह फरवरी-2016 से सम्बन्धित कर विवरणी और शुद्ध संदेय कर से सम्बन्धित चालान दि0 20-03-2016 तक कार्यालय में जमा किया जाना है और 31 मार्च-2016 को समाप्त होने वाली कर अवधि में 20 मार्च-2016 तक शुद्ध संदेय कर दि0 25 मार्च-2016 तक राजकीय कोषागार में जमा किया जाना है ।

   निर्देशित किया जाता है कि नियमित रुप से कर जमा करने वाले व्यापारियों के द्वारा दाखिल रिटर्नों / शुद्ध संदेय कर की जॉच प्राथमिकता से करायें । यदि ऐसे व्यापारियों के द्वारा रिटर्न / शुद्ध संदेय कर निर्धारित तिथि तक जमा नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध तुरन्त नोटिस निर्गत करते हुए शुद्ध संदेय कर प्रत्येक दशा में दि0 31-03-2016 तक जमा कराया जाना सुनिश्चित करें ।

2. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ठेकेदारों को भुगतान करते समय स्रोत पर कर की कटौती करते हुए उसे राजकीय कोषागार में जमा किये जाने का प्राविधान है । माह मार्च में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ठेकेदारों से कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में उन्हें काफी अधिक धनराशि का भुगतान किया जाता है ।

   निर्देशित किया जाता है कि अधिकारियों को कार्यदायी संस्थाओं / कोषागार से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए उनके द्वारा स्रोत पर की गई कटौती (टी0डी0एस0) से सम्बन्धित धनराशि को प्रत्येक दशा में 31 मार्च-2016 तक जमा कराया जाना सुनिश्चित करें ।

3. सभी कर निर्धारण अधिकारियों के द्वारा बकाये से सम्बन्धित आर-27 रजिस्टर का परीक्षण किया जाना है और परीक्षणोपरान्त जिन मामलों में तत्काल बकाया की वसूली सम्भावित है, ऐसे मामलों को सूचीबद्ध करते हुए एक निश्चित धनराशि तक के मामले में एडीशनल कमिश्नर, उससे कम के मामले में ज्वाइंट कमिश्नर व शेष में खण्ड के अधिकारी वसूली का प्रतिदिन अनुश्रवण करते हुए बकाया धनराशि दि0 31 मार्च-2016 तक जमा कराया जाना सुनिश्चित करें ।

उपर्युक्त तीनों बिन्दुओं पर जोन में राजस्व संग्रह के रुप में परिणामपरक् कृत कार्यवाही दि0 05-04-2016 तक इस कार्यालय को सूचित की जाये ।

15/03/16
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

पृ0 पत्र संख्या एवं दिनॉक : तदैव ।

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन, कर एवं निबन्धन, अनुभाग-2, को शासन के पत्र संख्या-297 दि0 11-03-16 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

(विवेक कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।